न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।
जी0आर0 संख्याः-190/2020
गोह थाना कांड संख्याः-36/2020

18.06.2020 आवेदक ईब्राहीम की ओर से ई-फायलिंग के तहत उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया तत्पश्चात् न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया । जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई ।

वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक उक्त वाद में जप्त वाहन का चालक है तथा आवेदक के विरूद्ध लगाये गये धारा जमानतीय प्रकृति का है । अतः आवेदक को किसी भी राशि की जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत आवेदन का विरोध करते है ।

सुना, अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नही है तथा न ही फर्द बयान में आवेदक का नाम का जिक्र है तथा उक्त वाद में किस वाहन को जप्त किया गया है, उसका जिक्र न तो फर्द बयान में है तथा न ही जप्त वाहन का जप्ती सूची अभिलेख पर है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उनका वाहन इस वाद में जप्त किया गया है । अभिलेख के अवलोकन के उपरांत किसी निष्कर्ष पर पहुँचना संभव नही हो पा रहा है, जिसके कारण उक्त आवेदन के आलोक में अभी जमानत पर सुनवाई संभव नही है । अतः थानाध्यक्ष गोह को निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांकः-26.06.2020 को सुबह 09:00 बजे सदेह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर, इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन समर्पित करें । प्रतिवेदन समर्पित हो जाने के उपरांत आवेदक के आवेदन पर सुनवाई होगी । कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की छायाप्रति सम्बन्धित थाना प्रभारी को भेंजे ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।